



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812/2009 एवं 2140, 2141/12/उदयपुर.

उनवान- मै0 के.जी.एम. एगो इण्डिया प्रा.लि., उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर

अपील संख्या 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483/2009 /उदयपुर.

उनवान- सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम मै0 के.जी.एम. एगो इण्डिया प्रा.लि., उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा – सदस्य</u> <u>श्री मदनलाल – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी प्रार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा एवं विभाग की ओर से सहायक आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनस्टी स्कीम वर्ष 2015 परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलों को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा एवं विभाग की ओर से सहायक आयुक्त द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812/2009 एवं 2140/2141/12 उदयपुर एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483/2009 /उदयपुर. जरिये विद्झाल (Withdrawal) खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">               (मदन लाल)              सदस्य         </p> <p style="text-align: center;">               (सुनील शर्मा)              सदस्य         </p>	